पत्रांक :12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017...1921/वि०

झारखण्ड सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

राँची, दिनांक :26/08/2021

<u>संकल्प</u>

विषय : सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 में संशोधन के संबंध में।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3336/वि० दिनांक 17.09.2014 के द्वारा के द्वारा विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित किया गया था।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 तथा संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 एवं संकल्प संख्या 518/वि० दिनांक 01.03.2019 के द्वारा केन्द्र के अनुरूप विभिन्न भत्ते अनुमान्य किये गये हैं।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 की कंडिका–5(III) में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के निमित्त मकान किराया भत्ता (HRA) को निम्नरूपेण पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है :–

III. <u>मकान किराया भत्ता (HRA)</u> :–

(क) X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता क्रमशः मूल वेतन के 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत के आधार पर अनुमान्य किया जाय।

(ख) परन्तु मकान किराया भत्ता X श्रेणी (50 लाख और उससे अधिक की आबादी) के शहर के लिए 24 प्रतिशत, Y श्रेणी (5 लाख से 50 लाख की आबादी) के शहर के लिए 16 प्रतिशत और Z श्रेणी (5 लाख से कम आबादी) के शहर के लिए 8 प्रतिशत की दर से अनुमान्य होगा, जो क्रमशः रूपये 5400/– प्रतिमाह, रूपये 3600/– प्रतिमाह और रूपये 1800/– प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

4. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के पत्रांक 2/5/2017-E.II(B) दिनांक 07.07.2017 के द्वारा मकान किराया भत्ता के दरों को अधिसूचित किया गया है। उक्त पत्र के कंडिका–3 में निम्न प्रावधान है :–

"The rates of HRA will be revised to 27%, 18% & 9% for X, Y & Z class cities respectively when Dearness Allowance (DA) crosses 25% and further revised to 30%, 20% & 10% when DA crosses 50%."

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1598/वि० दिनांक 28.07.2021 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता 28 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

6. उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 की कंडिका–5 के उप कंडिका III (क) में निम्नरूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर क्रमशः मूल वेतन के 27%, 18 % एवं 9 % के आधार पर अनुमान्य किया जाय"।

7. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8. यह आदेश दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से लागू होगा।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1844/वि० दिनांक 23.08.2021 के क्रम में दिनांक 24.08.2021 की बैठक के मद सं० 13 में दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 1921/वि० राँची, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले• एवं हक•), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 1921/वि० राँची, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वित्त विभाग, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 12/एस०–विभिन्न भत्ते (सातवाँ वेतन आयोग)–55/2017 1921/वि० राँची, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा–12 को सूचना उपलब्ध करावें।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।